न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 271/2023

हरदानराम पुत्र बगताराम
बनाम
राज0 सरकार वगैरा

दिनांक 20 .01.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा ''प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021'' में अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत तहसीलदार ओसियां के प्रस्ताव कमांक 691 दिनांक 06.12.21 के कम में पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः कोर्ट/2021/291 दिनांक 08.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट श्री रामप्रकाश चौधरी एवं रेस्पो0सं0 2, 4 व 5 की ओर से श्री रोशनलाल एवं रेस्पो0सं0 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील ओसियां स्थित ग्राम हडमानसागर, पटवार हल्का तापू के खसरा नम्बर 786, 954/793, 793/13, 797/17, 793/21 व 793/22 में से उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त खसरान में से अपीलार्थीगण ख0नं0 786 के सह–खातेदार व काश्तकार है। रास्ते का प्रस्ताव तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 में उपखण्ड अधिकरी ओसियां (शिविर प्रभारी, पं0स0ओसिया) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके संलग्न मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ता पुराने समय से चालू होना बताया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश बिना किसी जांच एवं कार्यवाही के पारित कर दिया गया। जो ख0नं0 793/21 के मृतक खातेदार हीराराम के नाम पारित किया गया है। मौके पर अपीलांट्स के खसरान में से कोई रास्ता चलायमान नही है। अपीलाधीन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश मात्र रेस्पो0सं0 2 से 7 को फायदा पहुचाने की नियत से पारित किया गया है, जो जनहितार्थ में नही है, जबकि रेस्पो0 अपनी भूमि में आवागमन हेतु अपीलांट्स के खसरान के दक्षिणी दिशा में स्थित ख0नं0 784 सरकारी ओरण भूमि में स्थित रास्ते का उपयोग करते आ रहे है, जिसमें कोई रास्ता पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की भूमि में से स्वीकृत रास्ता ख0नं0 784 में जाकर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार ख0नं0 785/2 की उत्तर दिशा में तापू–गिगाडा आम रास्ता चल रहा है, जो भोमजी की दुकान के पास से ख0नं0 785/2 में से होते हुए पूर्व से विद्यमान है। इसका उपयोग लम्बे समय से ग्रामवासी एवं रेस्पो0 करते आ रहे है, अतः नवीन रास्ते की आवश्यकता ही नही है। यदि रेस्पो0सं0 2 से 7 को रास्ते की आवश्यकता है, तो राज0 काश्तकारी अधि0 की धारा 251–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। वकील अपीलांट ने फार्म नं0 3 के संलग्न उल्लेखित दस्तावेजो की प्रतियां प्रस्तुत कर आग्रह किया कि कार्यालय ग्रा0पं0 गिंगाला के पत्र दिनांक 1.8.23 के अनुसार उक्त प्रस्ताव में सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर होने तथा मौका फर्द दिनांक 01.01.25 के अनुसार मौके पर ख0नं0 1041/786 व 1066/1042 में गै0मु0 रास्ते पर आवास पाया गया। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा तलब की गई तहसीलदार ओसियां की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.10.23 को वकील अपीलांट ने एकतरफा बताते हुए इसमें अपीलांट्स एवं उपस्थिति मौतबिरान के हस्ताक्षर नही होने का कथन किया गया। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित एवं विधिविरूद्ध होने से अपीलांट के ख0नं0 786 की हद तक अपास्त कर, राजस्व नक्शें में अमल–दरामद को निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूचीबद्ध निर्णय नजीरें यथा आरआरटी 2023(1) पेज नं0 548–52, 2024(2) पेज नं0 788–91, 2024(2) पेज नं0 1279 –83 एवं राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.8.16 व 30.9.21 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

रेस्पो0सं0 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2, 4 व 5 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश सार्वजनिक हित में मौके पर चालू रास्ते का, राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु पारित किया गया है। प्रस्ताव में सरपंच ग्रा.पं. गिगांला की सहमति दी हुई है। उक्त रास्ता गिगांला सरहद से भोमसिंह की दुकान तक ग्राम पंचायत को जोड़ते हुए विस्तृत

आबादी क्षेत्र को जोडता है, जिससे ग्रामवासियों के आवागमन में सुविधा हो रही है। मौके पर रास्ता चालू है व ग्रा0पं0 द्वारा इस पर विकास कार्य यथा ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया है तथा उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया तथा प्रकरण में तहसीलदार ओसियां के पत्रांक 620 दिनांक 31.10.23 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार ओसियां के प्रस्ताव पर "प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021" में पारित किया गया है, जिसमें अपीलांट्स एवं संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। तहसीलदार ओसियां की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.10.23 में मौके पर उपस्थित मौतबिरान अथवा अपीलांट के हस्ताक्षर नही है और न ही उनके द्वारा हस्ताक्षर करने अथवा नही करने बाबत कोई टिप्पणी की गई है। इसके विरूद्ध रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मौके पर रास्ता चालू होना तथा इस पर ग्रा0पं0 द्वारा विकास कार्य यथा ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया जाना बताया गया, जिस पर उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया, इनके द्वारा इस संदर्भ में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। इस स्थिति में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलांट के खसरा नं0 786 की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः राजस्व/2021/291 दिनांक 08.08.2022 अपीलांट के खसरा नम्बर 786 की हद तक निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.1.26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

20/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर